रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान सैन्य अदालतों द्वारा तीनों सेनाओं के जिन कर्मिकों पर मुकदमा चलाया गया था और जिन्हें सजा दी गई थी उनके वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं:—

वर्ष	मुकदमा चलाया गया	दोष सिद्ध हुआ
1996	1371	1324
1997	1479	1395
1998	1365	1319

8. रक्षा कार्मिकों द्वारा दायर किए गए सेवा से संबंधित 1924 मामले (वर्ष 1996-1998 तक) विभिन्न न्यायालयों में लंबित हैं।

9. पिछले तीन वर्षों के दौरान सेवा से संबंधित 192 मामलों में रक्षा कार्मिकों के पक्ष में निर्णय हुए।

Coast Guard Patrolling in Gujarat

165. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether a proposal of the Gujarat Government to hand over patrolling responsibility to Coast Guards is under consideration of Government;

(b) if so, the details thereof; and

(c) by when a decision is likely to be taken in this regard?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir. The State Government has requested that the patrolling of shallow waters should be done by the Coast Guard.

(b) and (c) The Coast Guard is responsible for patrolling the entire coastal area in Exclusive Economic Zone of India including the area off the Gujarat coast. However, the shallow and inland waters cannot be patrolled by the Coast Guard ships as they are not meant for patrolling such areas. However, the Governments of coastal states including Gujarat have jurisdiction in the territorial and inland waters of the respective states. So far, the State Government of Gujarat has been patrolling shallow water stretcn in a scheme of joint patrolling in force. Since the existing vessels of the Coast Guard are not disigned for shallow water patrolling, the State Government of Gujarat will have to continue its patrolling as at present.

रक्षा-कर्मियों की विधवाओं के लिए कल्याण उपाय

166. श्री ओंकार सिंह लखावत: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय सेना के कितने जवान और अधिकारी शहीद हुए,

(ख) सरकार ने उनकी विधवाओं और परिवार के सदस्यों के लिए कितनी धनराशि व्यय की, और

(ग) क्या सरकार ने उनके कल्याण के लिए नई योजनाएं बनाई हैं?

रक्षा मंत्री (श्री जार्ज फर्नान्डीज): (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान मारे गए सेना कार्मिकों की संख्या इस प्रकार है:—

वर्ष	अफसर	जूनियर कमीशन अफसर	अन्य रैंक प्राप्त
1996	26	22	277
1977	36	26	306
1998	26	28	359
जोड़	88	76	942

सशस्त्र सेनाओं के मारे गए कार्मिकों की विधवाओं तथा परिवार के सदस्यों के कल्याण के लिए कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। युद्ध, युद्ध जैसी संक्रियाओं, विद्रोहरोधी संक्रियाओं, सशस्त्र शत्रुओं के साथ मुठभेड़ों/घटनाओं आदि में मारे गए सशस्त्र सेनाओं के कार्मिकों की विधवाएं और परिवार के सदस्य निम्नलिखित लाभों के लिए हकदार हैं:—

(1) दिवंगत कार्मिक द्वारा अंतिम आहरित वेतन के बराबर उदारीकृत विशेष परिवार पेंशन।

(2) मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति उपदान जो दो माह के वेतन से लेकर अधिकतम 3.5 लाख रुपए तक भिन्न-भिन्न होता है।

(3) जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों और अन्य रैंकों के लिए 450 रुपए से 1600/-रु० तक और रैंक के आधार पर अफसरों के लिए 2000/-रु० से 16000/-रु० तक परिवार उपदान।

(4) 5 लाख रुपए से लेकर 7.50 लाख रुपए तक अनुग्रह राशि का भुगतान।

उपर्युक्त पेंशन संबंधी लाभों के अलावा रक्षा कार्मिकों की विधवाएं सैन्य अस्पतालों से चिकित्सा उपचार, कैंटीन सुविधाएं, बच्चों के लिए शिक्षा में रियायत, रेल/हवाई यात्रा रियायत आदि जैसी अनेक सुविधाओं के लिए हकदार हैं।

राज्य सरकारें तथा संघ शासित प्रशासन भी सशस्त्र सेनाओं के दिवंगत कार्मिकों की विधवाओं तथा परिवारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चलाते हैं।

Illegal gun-running operations in Andamans

167. DR. MANMOHAN SINGH: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether any case of illegal gunrunning operations in the Andamans for supply to insurgent groups in the North East have been brought to his notice; and

(b) if so, what action has been taken to deal with this problem?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) There are reports with the government that smuggling of arms/ammunition etc. from South East Asian countries is taking place using Indian waters around Andaman & Nicobar Islands.

(b) The Navy and the Coast Guard have been maintaining strict vigil and have been able to thwart such attempts. The Navy has stepped up surveillance in the Andaman & Nicobar Islands.

रक्षा विभाग में एक रैंक एक पेंशन व्यवस्था

168. **श्री डी.पी. यादव:** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एक रैंक एक पेंशन व्यवस्था को लागू करने के संबंध में विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्ष 1998 के दौरान, सेना में जवानों की भर्ती के लिए विभाग द्वारा स्थापित कुल भर्ती केन्द्रों की संख्या का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री जॉर्ज फर्नान्डीज़): (क) और (ख) जी हां, 'एक रैंक एक पेंशन' मंजूर किए जाने की मांग पर नए सिरे से विचार किया जा रहा है।

(ग) वर्ष 1998 के दौरान कोई भर्ती केंद्र नहीं खोला गया है।

Spurious spare parts for army vehicles

169. SHRI VEDPRAKASH P. GOYAL: Will the Minister of DEFENCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that spurious spare parts for B class vehicles are frequently used in army repair units throughout the country, resulting into poor maintenance of the vehicles used by field units;

(b) if so, whether any inquiry into the matter has been conducted by Government;

(c) if so, the details thereof; and

(d) whether any initiative has been taken by Government so that standardised spare parts only are used?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) No, Sir. Army HQrs have confirmed that no spurious spare parts are used for repair in Army units anywhere in the country. There is a well laid down procedure for purchase of spare parts from recognised suppliers. The maintenance of the vehicles, being used by the field units, is in no way affected in this respect.

(b) to (d) Not applicable in view of (a) above.